



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-954/UP/7/2023-SSW


दिनांक: 06/07/2023

श्री नितिन रमेश गोकर्न
प्रमुख सचिव,
राज्यकर विभाग - Gst,
उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय,
लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
(Tel. No: 0522-2237161)

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी की धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्थानान्तरण हेतु - श्रीमती रूपा, धर्मपत्नी श्री जय बहादुर सिंह, उपायुक्त खण्ड-12, सहारानपुर राज्यकर वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश, वस्तु एवं सेवा कर विभाग का दिनांक शून्य का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती रूपा से दिनांक शून्य में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

- श्रीमती रूपा धर्मपत्नी श्री जय बहादुर सिंह,
30/85 प्रदुमन नगर,
नियर मानव मंदिर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
(Mob No. 9368566926)
- NIC, NCST (Please upload this on the website of the Commission)

ISSUED
06/07/23

NCST - NCST - NIC